2010 का विधेयक संख्यांक 32

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

धारा 5 का संशोधन।

2. महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा 1 में खण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :––

2010 का 22

''(v-क) प्रायोजक निकाय / विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;"।

धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में ''वसीयतें,'' शब्द और चिन्ह के पश्चात् ''माता–पिता और छात्रों के सिवाय'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 31 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

''(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो उस प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंक के माध्यम से वेतन का संदाय करने की व्यवस्था का उपबन्ध नहीं करता है । इसके अतिरिक्त, समुचित प्रसुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के आशय से, राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से नए पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए और पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है । इसलिए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करने, बैंक के माध्यम से वेतन का संदाय करने की व्यवस्था करने तथा नए पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व और विद्यमान पाठ्यक्रमों में नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री ।

धर्मशाला :
तारीख:....., 2010

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 32 of 2010

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010. Short title.

2. In section 5 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(1),— Amendment of section 5.

22 of 2010

(a) after clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(v-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;".

3. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign "donation,", the words and sign "except from parents and students," shall be inserted. Amendment of section 9.

4. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 31.

"(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010) does not provide for the appointment of full time regular employee for the university and provision for payment of salary through bank. Further, in order to ensure the availability of proper facilities it has been considered necessary to make a provision for prior approval of the State Government for starting new courses and for admitting new students in the existing courses in subsequent years. As such, it has been decided to make provision for appointment of regular employees, payment of salary through bank and provision for seeking prior approval of the State Government before starting new courses and admitting new students in the existing courses.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN,
Minister-in -charge.

DHARAMSHALA :
The.....2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0 / 1–63 / 2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट सांईसिज़ विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक–36) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।